UPKR010005372026

न्यायालय— सत्र न्यायाधीश, कासगंज

पीठासीन अधिकारी—रामेश्वर (एच0जे0एस0)

I.D No-UP6537

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—300/2026

1—बदलशेर उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र चमनशेर
2—दलशेर उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र चमनशेर
3—धर्मपाल उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र चन्दन सिंह
निवासीगण ननाखेडा, थाना उझानी, जिला—बदायूँ।

बनाम

1— उ0प्र0राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'' कासगंज।
2— भूदेव पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम धनसिंहपुर, थाना—सहावर, जिला कासगंज।

अपराध संख्या—22/2026
धारा—331(4),305ए,317(2) बी0एन0एस0
थाना—सहावर, जिला—कासगंज

07.03.2026

1— प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण बदलशेर, दलशेर एवं धर्मपाल की ओर से अपराध संख्या—22/2026, धारा—331(4),305ए,317(2) बी0एन0एस0, थाना—सहावर, जिला—कासगंज के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2— जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण की ओर से सहायक लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3— संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा भूदेव द्वारा एक तहरीर सम्बन्धित थाने पर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 18.01.2026 को वह अपने बच्चों के साथ घर पर सो रहा था, सुबह करीब करीब 6 बजे उसकी पुत्र बधू रोशनी जगी तो उसने देखा कि कमरे के ताले टूटे हुए थे, बक्सा का ताला टूटा हुआ था, आटे का छोटा ड्रम बिखरा पड़ा था। उन लोगों ने देखा कि उनके घर से अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात व बक्से में रखे 40 हजार रूपये चोरी कर ले गए। उसी रात उनके ही गांव के प्रेम सिंह पुत्र बनवारीलाल, तेजपाल पुत्र रामरतन व रामसेवक पुत्र मेघ सिंह के घरों के ताले तोडकर अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवरात व रूपये चोरी कर ले गए। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

Digitally signed by RAMESHWAR
Date: 2026.03.07 15:55:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4— अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह तर्क यह लिये गये हैं कि मुकदमा उपरोक्त में उनको गलत एवु झूँठा फंसाया गया है, वे बिल्कुल निर्दोष हैं। कथित घटना की प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। कथित प्राथमिकी से स्पष्ट है कि घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। कथित घटना दिनांक 18.01.2026 की रात्रि की बताई गयी है और प्राथमिकी दिनांक 20.01.2026 को सदिनो दिन बाद दर्ज करायी गयी है, ,विलम्ब से लिखाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पुलिस थाना सहावर द्वारा दि० 23.01.26 को दर्शाकर फर्जी तरीके से अपनी कारगुजारी को अन्जाम देने के लिए उनको झूठा गलत बन्द कर दिया है। उनसे कोई बरामदगी नहीं है। फर्जी तरीके से बरामदगी दर्शाया गयी है। पुलिस थाना सहावर द्वारा उनको घर से बुलाकर झूठा बन्द किया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। फर्जी आपराधिक इतिहास दिं0 23.01.2026 व 24.01.2026 में गिरफ्तारी कर झूठा तैयार किया गया है। वे गरीब व्यक्ति है और दिं० 24.01.2026 से जेल में निरूद्ध है तथा उन पर आरोपित अपराध प्रथम वर्गीय मजि० द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्तगण उक्त मामले में अपनी जमानत देने को तत्पर है। उसका दुरूपयोग नहीं करेगें। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियुक्तगण ने रात्रि में वादी मुकदमा के घर में घुस कर सोने चांदी के जेबरात व रूपये चोरी कर लिये। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रश्नगत घटना की तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी। फर्द बरामदगी में वर्णित कथनानुसार प्रार्थी/अभियुक्तगण व सहअभियुक्त को घटना के लगभग दो माह बाद दिनांक 23.01.2026 को गिरफ्तार किया जाना तथा प्रार्थी/अभियुक्त बदलशेर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किये जाने वालं उपकरण सब्बल आदि व 10,700/—रूपये, दलशेर से 9,200/—रूपये व धर्मपाल के कब्जे से 9400/—रूपये बरामद होना तथा जुर्म इकबाल के आधार पर उक्त मामले में संर्लिप्त किया जाना दर्शित किया गया है। किन्तु बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 24.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जहॉ तक अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी/अभियुक्तगण बदलशेर व दलशेर का सात—सात मुकदमों का एवं धर्मपाल के 10 मुकदमो का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने कोई भी ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रार्थी/ अभियुक्तगण की पूर्व में दोषसिद्धि प्रमाणित होती हो।

7— अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये गुण—दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

अभियुक्तगण बदलशेर, दलशेर एवं धर्मपाल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुब0 75,000/—(पचहत्तर हजार) रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये —

1– दौरान विवेचना किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे और विवेचना में सहायता प्रदान करेंगे।

2– आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने की दशा में आरोप की सुनवाई तक वे प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

3– दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वे किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेंगे।

उक्त शर्तो के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित कर सकेगा

स्टेनो–रामेश्वर दयाल

(रामेश्वर)
सत्र न्यायाधीश,
कासगंज।
07.03.2026